बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की मदद से गया जिला के श्री प्रशांत कुमार का विद्युत विपत्र की राशि 2,57,384 .00 रुपए से घटकर 36,392.00 रुपए हो गयी

बहुत बड़ी राशि का त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र प्राप्त हो जाने से गया जिला के अबगीला देवी स्थान मानपुर के श्री प्रशांत कुमार काफी परेशान थे। समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें लोक शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के लिए बिहार सरकार द्वारा बनाए गए क़ानून की जानकारी थी इसलिए उन्होंने दिनांक- 02.07.2021 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्युत विपत्र में सुधार करने हेतु परिवाद दायर किया।

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया सदर द्वारा इनके परिवाद पर कार्रवाई प्रारंभ करते हुए लोक प्राधिकार-सहायक विद्युत अभियंता, मानपुर, गया को शिकायत का निवारण करने का निदेश दिया।

दिनांक-14.09.2021 की सुनवाई में सहायक विद्युत अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत विपत्र 257384.00 रूपए को सुधार कर 36932.00 रूपए कर दिया गया है, इस प्रकार 2.20 लाख रूपए से अधिक का सुधार हो गया। लोक शिकायत निवारण कानून की सहायता से विद्युत विपत्र में सुधार हो जाने से परिवादी काफी संतुष्ट हुए और बिहार सरकार की इस व्यवस्था को धन्यवाद दिया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी लोक शिकायतें दर्ज करायें तथा निश्चित समय सीमा में सुनवाई के पश्चात् समाधान पाएं

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल करें या

वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/पर जाएं